

BEE/S&L/LED Lamps/52 (3)/2018-19


8<sup>th</sup> October, 2018

**Important Instructions to all LED Lamp Manufacturers & Permittee**

- (1) Bureau of Indian Standards published the Amendment Standard for Self-ballasted LED Lamps, IS 16102 (Part 2) on 28<sup>th</sup> December, 2017.
- (2) BEE grants the star label approval for LED lamps based on the compliance with the performance parameters laid down in this standard with all amendments.
- (3) The Gazette Notification for mandatory star labelling program of LED lamps published vide S.O. 4096 (E) dated 28<sup>th</sup> December, 2017 refer to IS 16102 with all amendments.
- (4) It has been found that the LED manufacturers are still submitting the test reports as per IS 16102 (Part 2): 2012, which is not acceptable under S&L program.

Accordingly, it may please be noted that test reports being submitted along with any future applications must be as per the amendment standard IS 16102 (Part 2): 2017. Also, the lab accreditation and its scope shall be in accordance with the amendment standard.

This issues with the approval of DG, BEE.

  
(Sameer Pandita)  
Director  
8<sup>th</sup> October, 2018

बीईई/एसएंडएल/एलईडीलैम्प/52(3)/2018-19

08 अक्टूबर, 2018

### सभी एलईडी लैम्प विनिर्माताओं और अनुज्ञाधारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

- (1) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 28 दिसंबर, 2017 को स्वतः स्थिरिक (Self-ballasted) एलईडी लैम्प, आईएस 16102 (भाग 2) के लिए संशोधित मानक प्रकाशित किया गया।
- (2) बीईई सभी संशोधनों सहित इस मानक में विहित निष्पादन मानदंडों के अनुपालन के आधार पर एलईडी लैम्प के लिए स्टार लेबल का अनुमोदन प्रदान करता है।
- (3) दिनांक 28 दिसंबर, 2017 के सांविधिक आदेश 4096 (ड) द्वारा प्रकाशित एलईडी लैम्प के अनिवार्य स्टार लेबलिंग कार्यक्रम की राजपत्रित अधिसूचना सभी संशोधनों के साथ आईएस 16102 के संदर्भ में है।
- (4) यह पाया गया है कि एलईडी विनिर्माता अभी तक आईएस 16102 (भाग 2): 2012 के अनुसार जांच रिपोर्ट भेज रहे हैं, जो एसएंडएल कार्यक्रम के तहत स्वीकार्य नहीं है।

तदनुसार, कृपया यह नोट करें कि भविष्य में भेजे जाने वाले किसी भी आवेदन के साथ जांच रिपोर्टें संशोधित मानक आईएस 16102 (भाग 2): 2017 के अनुसार होनी चाहिए। प्रयोगशाला प्रत्यायन और इसका कार्यक्षेत्र भी संशोधित मानक के अनुसार होगा।

यह महानिदेशक, बीईई के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

**समीर पंडिता**

(समीर पंडिता)

निदेशक

8 अक्टूबर, 2018